# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व)श्रीगंगानगर

**पीठासीन अधिकारी :– संजय कुमार** आर.ए.एस.

**अपील प्रकरण संख्या :– 18/2021**

मनोज कुमार पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी चूनावढ तह० व जिला श्री गंगानगर जरिये मुख्तारआम जगदीश पुत्र महीराम जाति जाट निवासी चूनावढ तह० व जिला श्री गंगानगर ।

**— अपीलार्थी**

**बनाम**

ग्राम पंचायत. चूनावढ़ तह. श्रीगंगानगर (राजस्थान) जरिये सरपंच ग्राम पंचायत चूनावढ़

## अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम 1954

—:: उपस्थित ::—

1. श्री सुभाष मिढढा अधिवक्ता      अपीलान्ट

**—:: आदेश ::—**

**दिनांक :— 15.01.2024**

अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलांट की खातेदारी कृषि भूमि अन्य के अलावा चक 24 जी जी के मु० न० 13 मे 1.685 है0 खातेदारी दर्ज चली आ रही होते हुए बिना अपीलांट को बुलाये सुने कथित गलत बैयनामा के आधार पर ग्राम पंचायत चुनावढ़ द्वारा इंतकाल जेर अपील को तस्दीक किया गया, जो कि विधि विरूद्व होने से हर प्रकार से निरस्तनीय है, इंतकाल जेर अपील की प्रमाणित प्रतिलिपि शामिल है। जिस कथित बैयनामा दिनांक 25.01.10 के आधार पर यकतरफा तौर पर इंतकाल दर्ज किया गया उस बैयनामा को चुनौती देते हुए अपीलांट ने एक दावा अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश सं० 1 श्री गंगानगर मे पेश किया जो कि प्रकरण सं0 41/16 पर दर्ज किया जाकर निर्णय दिनाक 04.03.21 को किया जाकर न्यायालय द्वारा बैयनामा को शून्य घोषित करते हुए अपीलांट के अधिकारो पर बेअसर घोषित करने का आदेश दिया गया जिसकी नकल शामिल है। इस प्रकार कथित बैयनामा जो द्वारा मुगालता देकर करवाया गया को शून्य घोषित किया जा चुका है, अतः कथित क्रेता का ना कोई कब्जा रहा ना ही कोई हक अधिकार कभी बने। न्यायालय के आदेश की प्रति उपपंजीयक श्रीगंगानगर के समक्ष न्यायालय के निर्णय की पालना मे पेश करने पर उपपंजीयक श्रीगंगानगर के द्वारा भी दस्तावेज को शून्य घोषित करने का नोट दर्ज किया गया है जिसकी नकल शामिल है। इंतकाल जेर अपील करने से पूर्व ना तो अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया गया ना ही इंतकाल नियमो की ना ही लैण्ड रिकार्ड रूल्स के आदेशात्मक प्रावधानो की पालना की गई ना पंचायत कोई प्रस्ताव पास किया ना कोई कमेटी का गठन किया ना कब्जा जांच करवायी गई बल्कि समस्त कार्य[illegible] की गई। अब न्यायालय द्वारा दिनांक 04.03.21 को निर्णय पारित करने पर [illegible] अपीलांट पटवारी हल्का से न्यायालय के आदेश की पालना के [illegible] ज्ञात हुआ कि इंतकाल जेर अपील को निरस्त करवाना आवश्यक है इस की [illegible] हासिल कर यह अपील पेश की जा रही है, जो कि कानूनी जानकारी अर्थात इलम से अ[illegible] मियाद पेश है। अपील काबिल समाअत अदालतवाला है उचित न्यायशुल्क पर पेश की जा रही है। लिहाजा अपील पेश करके

Sanjay

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 10:15:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

अर्ज है कि अपील स्वीकार की जाकर इंतकाल जेर अपील को निरस्त करने का आदेश फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिऐ सम्मन रिकार्ड तलब किया किया गया।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत इंतकाल की प्रति, दस्तावेज बैयनामा की प्रति, न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश संख्या 1 श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.03.2021 की प्रति, कार्यालय ग्राम पंचायत चूनावढ़ द्वारा जारी नकल प्रस्ताव, पंचों की बैठक की कार्यवाही के विवरण का रजिस्टर की प्रति पेश की गई। उक्त दस्तावेजात के अवलोकन से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है। अतः तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर माननीय न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश संख्या 1 श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.03.2021 में दिये गये आदेशों की पालना करना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिंनाक 15.01.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय कुमार )
**उपखण्ड अधिकारी(राजस्व)**
**श्रीगंगानगर**

Signature Not Verified

Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 10:15:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner